-4-

आदेश की क्रम संख्या, और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
१	२	

13/7/20 उभय पक्ष का हाजरी प्राप्त। सरकार की ओर से हाजरी दी गई। बहस सुना। आदेशार्थ।

अपर समाहर्त्ता सहरसा 13/7/2020

न्यायालय, अपर समाहर्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, सहरसा

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 150/2018

प्रथम पक्ष

1. मो0 नसीरूद्दीन उर्फ मोती,
2. मो0 फिरदोश उर्फ नियाज
3. मो0 इम्तियाज उर्फ नन्हें,

सभी पिता स्व0 सदीक, सा0–खुरेशान टोला फकीरा चक, पो0 रसलपुर, थाना सलखुआ, जिला– सहरसा

बनाम

द्वितीय पक्ष

1. बिहार सरकार,
2. अंचलाधिकारी, सलखुआ
3. मो0 सफी आलम पिता सब्बीर आलम, सहरसा बस्ती वार्ड नं0 31, अली रोड के पास हटियागाछी, थाना व जिला–सहरसा

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण वाद आवेदकगण प्रथम पक्ष ने अंचलाधिकारी, सलखुआ द्वारा प्रतिपक्षी सं0 03 मो0 सफी आलम के पक्ष में दाखिल खारिज केश नं0 2973/2013–14 के द्वारा सृजित जमाबंदी सं0 405 के विरूद्ध दायर किया गया है। विवादित जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
खुरेशान	95/315	344	83	26 डिसमल
		385	82	

आवेदकगण का कथन है कि प्रश्नगत जमीन हाल सर्वे खतियान में मो0 सदीक पिता मो0 इब्राहीम के नाम से दर्ज है। इसी खतियानी रैयत के लड़केगण आवेदक हैं। खतियानी रैयत के मर जाने के बाद आवेदकगण का हक दखल कब्जा कायम है। इनका आगे कथन है कि नया खाता 385 नाम से हकीमन पति अहमद हुसैन जो आवेदकगण के फुआ है, के निसंतान स्वर्गवास होने के बाद उक्त जमीन पर आवेदकगण का दखल कब्जा चला आ रहा है।

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

आवेदकगण का पुनः कथन है कि विपक्षी जाल फरेबी व मोकदमाबाज है तथा गलत बी0टी0एक्ट के आधार पर बिना हक व दखल–कब्जा, दाखिल खारिज वाद सं0 2973/13–14 में आवेदक को कोई नोटिस दिये बगैर तथा अंचलाधिकारी के बिना सरजमीन पर गये आदेश पारित कर दिये।

आवेदकगण के द्वारा दाखिल लिखित बहस में वंशवृक्ष का उल्लेख किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

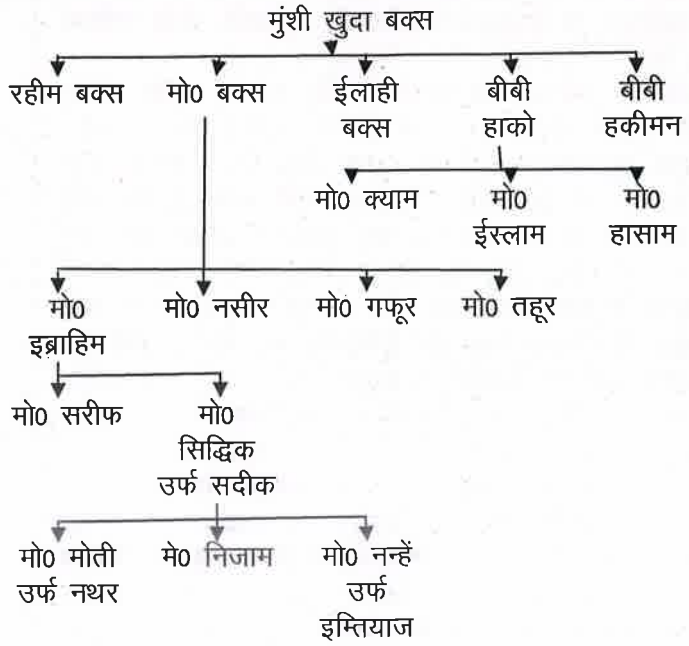

वंशवृक्ष के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बीबी हकीमन आवेदकगण की फुआ (परदादी) थी एवं नावल्द थी। बीबी हकीमन अपने तीनों भाईयों के साथ रहती थी, क्योंकि उनको अपनी औलाद नहीं थी। इसलिए अपने भाईयों को अपना सहारा मानती थी। बीबी हकीमन वर्ष 1943–44 में स्वर्गवास हो गई। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आवेदकगण के पूर्वजों में जमीन का बंटवारा हुआ। उक्त विवादी जमीन आवेदक के पूर्वजों के हिस्सा में आया।

हाल सर्वे में पुराना खेसरा 57 का नया खेसरा 83 आवेदकगण के पिता के नाम से खुआ एवं पुराना खेसरा 55 का नया खेसरा 82 उनके फुआ (परदादी) के नाम से खुली। उक्त विवादी जमीन पर आवेदकगण के पूर्वज के समय से ही छतदार घर मकान बनाकर शांतिपूर्वक सपरिवार के साथ रहते चले आ रहे है एवं जमाबंदी संख्या 344 भी उनके पूर्वज के नाम चलता आ रहा है। वर्ष 2013–14 तक लगान रसीद निर्गत है।

आवेदकगण का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा दाखिल हिब्बानामा का 2 (दो) अलग–अलग व्यक्ति द्वारा हिन्दी अनुवाद कराया गया। सबूत कागजात के साथ आवेदकगण द्वारा दाखिल किया गया है, जिसमें विवादी जमीन पुराना खेसरा 57 वो 55 का उल्लेख नहीं है।

आवेदकगण का कहना है कि विवादी जमीन पर विपक्षीगण का एक क्षण के लिए भी दखल कब्जा नहीं रहा है। आवेदक ने अपने आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न किया है–

1. अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 2973/13–14

Serial Number and date of order. 1	Order and signature of officer 2	Note or action taken on order with date 3

में पारित आदेश की सत्यापित प्रति,

2. मो0 सदीक पिता इब्राहीम के नाम जमाबंदी सं0 344 में निर्गत मालगुजारी रसीद की प्रति,
3. मो0 सदीक के नाम नया खतियान खाता 344 खेसरा 83 के नकल की छायाप्रति,
4. बीबी हकीमन के नाम रिविजनल सर्वे खतियान के खाता नं0 385 खेसरा 82 के नकल की छायाप्रति,
5. सर्वे खतियान की इंफोरमेशन स्लीप की छायाप्रति, आदि दाखिल किया है।

प्रतिपक्षी सं0 03 का कथन है कि वाद में वर्णित पुराना खाता 88 पुराना खेसरा 57 बीबी हकीमन जौजे अहमद हुसैन दोख्तर मुंशी खुदाबख्श मरहुम की खास जमीन थी, जिसपर बीबी हकीमन हकदार वो दखलकार हैं। इनका आगे कथन है कि बीबी हकीमन की कोई औलाद नहीं था, जिस वजह से जमील उद्दीन को अपने पास रख लिया। जिनके सेवा व फमावदारी से खुश होकर बीबी हकीमन ने अपनी भूमि पु0 खाता 88 पु0 खेसरा 57 के साथ अन्य जमीन दि0 19.01.1946 को हिब्बानामा कर दिया। तदोपरांत जमील उद्दीन उक्त पर हकदार व दखलकार हुए तथा जमीलउद्दीन के मरने के बाद उनके पुत्र मो0 इस्लाम अपने पिता के कुल संपत्ति पर हकदार व दखलकार हुए।

प्रतिपक्षी का पुनः कथन है कि मो0 इस्लाम पे0 मो0 जमील उद्दीन ने बाजिब कीमत पाकर अपनी भूमि पु0 खाता 88 पु0 खेसरा 57 रकवा 02 कट्ठा तथा पुराना खेसरा 55 रकवा 4 कट्ठा, जो मरोसी वो खास हिस्से की भूमि केवाला दस्तावेज सं0 15466 दि0 11.10.85 को मो0 सब्बीर अहमद पे0 मो0 नजीर उद्दीन को निबंधित कर दिये। उक्त खरीदगी के आधार पर मो0 सब्बीर अहमद के नाम दाखिल खारिज केश नं0 2973/13–14 के तहत जमाबंदी सं0 405 कायम हुआ तथा रेंट अदाय कर रेट रसीद हासिल होते आया।

प्रतिपक्षी का आगे कथन है कि हाल सर्वे में पुराना खाता 88 पुराना खेसरा 57 से नया खाता 344 नया खेसरा 83 रकवा 8 डि0 बना है तथा पुराना खेसरा 55 से नया खेसरा 82 रकवा 18 डि0 अंदर नया खाता 385 दर्ज हुआ वो नया खाता 385 नया खेसरा 82 का खतियान हाल सर्वे में नाजायज रूप से आवेदकगण के पिता मो0 सदीक के नाम से दर्ज हो गया, जिसके खिलाफ विपक्षी के पिता मो0 सब्बीर अहमद ने दफा 106 बी0टी0एक्ट का मोकदमा सं0 34364/1985 दाखिल किये, जिसमें आदेश विपक्षी के पिता मो0 सब्बीर अहमद के पक्ष में पारित हुआ एवं उसी तरह नया खाता 344 नया खेसरा 83 का खाता हाल सर्वे में आवेदकगण के पिता मो0 सदीक के नाम से नाजायज रूप से दर्ज हो गया, जिसके खिलाफ भी वाद सं0 34398/1985 में सब्बीर अहमद के पक्ष में पारित हुआ। खतियान में तरमीम भी विपक्षी के पिता मो0 सब्बीर के नाम से हो गया, जिसके खिलाफ किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया है न तो चुनौती दिया है। उक्त तरमीम के आधार पर विपक्षी के पिता मो0 सब्बीर अहमद के नाम से जमाबंदी सं0 405 अंदर दाखिल खारिज वाद सं0 2973/2013–14 के निश्वत नया खाता 385 नया खेसरा 82 रकवा 18 डि0 वो नया खाता 344 नया खेसरा 83 रकवा 8 डि0 कुल रकवा 26 डिसमल यानि 6 कट्ठा कायम हुआ। जिसका रेंट अदाय कर रेंट रसीद हासिल करते चले

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3

आ रहे हैं।

इनका कथन है कि आवेदक मो0 नसरूद्दीन उर्फ मोती ने उक्त दाखिल खारिज आदेश के खिलाफ अपील सं0 20/2017–18 भूमि सुधार उप समाहर्ता, बख्तियारपुर में लंबित है। जिस वजह से यह वाद पोषणीय नहीं है। साथ ही कथन है कि आवेदक के आवेदन में वर्णित कथन बिल्कुल गलत, नाजायज, बेबुनियाद एवं आधारहीन है।

प्रतिपक्षी का यह भी कथन है कि उक्त विवादी भूमि पर इंदिरा आवास के तहत विपक्षी का पक्का छतदार मकान बना हुआ है, जिसमें विपक्षी तीनों भाई अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। जिस पर आवेदकगण को कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपने प्रत्युत्तर के साथ निम्न कागजात दाखिल किये हैं–

1. फोटो कॉपी हिब्बानाम नं0 275 दि0 19.01.1946 नविस्ते बीबी हकीमन बहक शेख मो0 जमील उद्दीन
2. हिब्बानाम का हिन्दी रूपांतर
3. फोटोकॉपी केवाला दि0 11.10.1985 नविस्ते महम्मद इसलाम बहक मुहम्मद शब्बीर अहमद
4. फोटोकॉपी आदेश न्यायालय राजस्व पदाधिकारी, सहरसा वाद सं0 34364/85
5. फोटोकॉपी आदेश न्यायालय राजस्व पदाधिकारी, सहरसा वाद सं0 34398/85
6. फोटोकॉपी हाल सर्वे खतियान खाता नं0 344 नाम से मो0 सदीक मियॉ
7. फोटोकॉपी हाल सर्वे खतियान खाता नं0 385 नाम से बीबी हकीमन
8. फोटोकॉपी रेन्ट रसीद वर्ष 2018–19 नाम से मो0 शब्बीर अहमद ज0नं0 405
9. फोटोकॉपी नोटिस न्यायालय सक्षम प्राधिकार–सह–उप समाहर्ता, सिमरी बख्तियारपुर वाद सं0 20/2017–18

उभय पक्षों को सुना तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। समीक्षोपरांत निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते हैं–

1. आवेदकगण खतियानी रैयत के वारिस हैं।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी का सृजन कराया गया। रिविजनल सर्वे खतियान का प्रकाशन वर्ष 1983–84 में की गई। तत्पश्चात इस जिले में अनेकों फर्जी बी0टी0एक्ट की धारा 106 के अंतर्गत मुकदमा विभिन्न न्यायालयों में दायर कर बैकडेटिंग कर 2012–14 में आदेश प्राप्त किये गये, जबकि खतियान के अंतिम प्रकाशन के मात्र 03 माह के अंदर धारा 106 के अंतर्गत अपील दायर करना था, परंतु फर्जी तरीके से 04.02.2011 की तिथि में फर्जी आदेश पत्र तैयार कर जमाबंदी का सृजन कराया गया। इस संबंध में राजस्व विभाग तथा समाहर्ता का भी निदेश है कि ऐसे दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी का सृजन नहीं करना है।
3. अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी का सृजन दि0 17.01.2014 को किया गया है, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 150–2 दि0 06.06.2013 तथा समाहर्ता, सहरसा के पत्रांक 46–1 दि0 17.10.2013 के आलोक में जमाबंदी का सृजन नहीं करना था। इस प्रकार प्रश्नगत जमाबंदी का सृजन

Serial Number and date of order.	Order and signature of officer	Note or action taken on order with date
1	2	3
	विभागीय निदेश के विपरीत किया गया है। उपरोक्त आलोक में प्रश्नगत जमाबंदी सं0 405 विभागीय प्रावधानों के विपरीत सृजित रहने के कारण रद्द किया जाता है तथा प्रश्गनत खेसरा आवेदकगण के मूल जमाबंदी में जोड़ने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आलोक में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। पक्षकार अपना–अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। लेखापित एवं शुद्धिकृत। 13/12/20 अपर समाहर्ता, सहरसा 13/12/20 अपर समाहर्ता, सहरसा	